अध्याय - 1

प्रस्तावना

1.1 भूमिका

भारत की अधिकांश जनसंख्या (लगभग68.8%) गाँव में निवास करती है। गाँव में रहने वाले लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और माजदूरी है। कृषि करने वाले समूह को कृषक कहा जाता है, जिसके पास अपनी भूमि, बैल व अन्य उपकरण होते हैं। गाँव में कृषि के अलावा लोगों का व्यवसाय पशुपालन होता है,जिनका दूध के व्यवसाय से अपना गुजारा होता है। इसके अलावा गाँव में कुछ लोग मजदूर होते हैं,जिनका कार्य श्रम तथा घर बनाना आदि होता है। ग्रामीण शैली में कृषक पशुपालक एवं श्रमिक वर्ग रहते हैं। ये लोग एक दूसरे पर कार्य के आधार पर आश्रित होते हैं। शहरी समाज की अपेक्षा ग्रामीण समाज का स्वरूप सरल होता है। जिसमें जाति व्यवस्था पायी जाती है, जो अपनी प्रथाओं,रीति-रिवाजों का अनुसरण करते हैं। सभी जातियाँ अंतर-विवाही होते हैं एवं गोत्र बाह्य विवाह होता है। उनका अपना परंपरागत पेशा होता है एवं समाज में लोगों का निश्चित स्थान होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एकरूपता पाई जाती है, जब भी गाँव में कोई त्योहार या सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें समस्त ग्रामवासिओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।इसके अलावा ग्रामीण समुदाओं के मध्य धार्मिक व राजनैतिक एकरूपता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के विवादित मुद्दों का निपटारा गाँव में ही किया जाता है। यदि मामला जटिल होजाता है तो वे लोग कचहरी तक भी जाते हैं। प्रारम्भिक समय से ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के मध्य अंतर देखने को मिलता है। जैसे वहाँ पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होता

है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली,पानी,शिक्षा ,स्वास्थ्य,तथा सिचाई जैसी सुविधाओं का अभाव होता है। गाँव की समस्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पंच वर्षीय योजनाओं की शुरुआत की ।जिसके अंतर्गत ग्रामीण समुदाय के विकास के लिए आर्थिक योजना,आवासीय योजना, स्वास्थ्य संबंधी योजना तथा शिक्षा के लिए योजानाए बनाई जाने लगी। भारत एक विकासशील देश होने के नाते इन सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने में अब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका है क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए राजनैतिक वर्ग की प्रतिबद्धता,जन सेवा अधिकारी का उत्तरदायित्व तथा ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ग्रामीण समुदाय की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के नाते उनमें संतुलित आहार का अभाव होता है। जिसके कारण उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती है और वे इनका सामना करने में असमर्थ होते हैं। अत: इलाज के अभाव में बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपने बच्चों की समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते, कुछ लोग अपने बच्चों को प्राथमिक या माध्यमिक कक्षा तक ही शिक्षा दिला पाते हैं। इसके पश्चात धन के अभाव में उच्च शिक्षा नहीं दिलवापाते और अंतत: बच्चे की पढ़ाई छुट जाती है और बच्चा भी घर के अन्य सदस्यों कीभांति मजदूरी करने लगता है। हलाकि भारत सरकार ने गाँव में शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनायेँ जैसे- सर्वशिक्षा अभियान,मध्याहन भोजन इत्यादि योजनाये संचालित की जा रही है। जिससे ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का विकास हो सके। परंतु आज भी ये योजनाओं का कही न कही विफल होती रही है जिस कारण एक गाँव का सम्पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में चल रही ही विभिन्न योजनाओं का अध्ययन तथा इन योजनाओं का ग्रामीणवासियों द्वारा मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। यदि विकास के पहिए को सही पटरी पर लाना है तो भूख और बेरोजगारी को मिटाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

आज भी देश की एक बड़ी आबादी को दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती । ऐसे लोग भी अपने देश में है जो रात में भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। उनकी इस स्थिति के लिए यदि हम विकास के मौजूदा माडल को दोषी ठहराएं तो गलत नहीं होगा। बेरोजगारी की मार से नौजवान बेहाल हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार के पास हर हाथ को रोजगार देने के लिए कारगर नीति का अभाव है। यह अभाव नया नहीं है। हमें विकास की ऐसी अवधारणा पर काम करना होगा जिसमें हर हाथ को काम मिल सके। इसके लिए हमें स्वरोजगार को बढ़ाने की दिशा में भी काम करना होगा। आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ते हुए नौजवानों में ऐसा आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि वे किसी का मुंह देखे बिना खुद अपने लिए रोजगार पैदा करते हुए प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकें। अभी विकास के जिस माडल को लेकर हम चल रहे हैं, उसमें गरीबी रेखा तय की जाती है। इसका परिणाम सबके सामने है। मेरा मानना है कि सही मायने में अगर हम विकास चाहते हैं तो गरीबी रेखा के बजाए समृध्दि की रेखा तय की जाए और उसी के मुताबिक समयबध्द कार्यक्रम लागू किए जाएं।

विकास की परिभाषा-

विकास की परिभाषा विभिन्न विद्वानो ने दी जो इस प्रकार है-

हाबहाउस के अनुसार- "विकास किसी प्रकार की वृद्धि का नाम है,जबकि प्रगति उन गुणो की वृद्धि का नाम हैं,जिसके साथ हम कुछ मूल्य जोड़ देते है।"

जिन्सबर्ग के अनुसार- "विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है ,जो किसी वस्तु में नवीनता पैदा करती है और संक्रमण को निरंतरता में व्यक्त करती है ।"

आगबर्न और निमकौफ के अनुसार- "विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है।"

मैकाइवर और पेज के अनुसार- "विकास परिवर्तन की एक दिशा है ,जिसमें बदलने वाले पदार्थो की विभिन्न दशाएँ प्रगट होती है तथा जिसमे पदार्थो की यथार्थता का ज्ञान होता है।

उपरोक्त परिभाषाओ के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसकी एक निश्चित दिशा होती है ,जो लोगों द्वारा वांछनीय होती है।

ग्रामीण विकास -

ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर प्रतिमानों मे बदलाओ लाने वाली विस्तृत प्रघटना है, जिसका विस्तृत आधार एवं क्षेत्र है। ग्रामीण विकास को विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानो द्वारा परिभाषयेँ दी गई है जो निम्न है -

वर्ड बैंक के अनुसार (1992) – ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करने वाले भूमिहीन एवं मजदूर वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने के कार्य मे लाने वाली एक व्यूह रचना है।

रॉबर्ट चेम्बेर्स के अनुसार (1983) – एक विशेष समूह को विशेषतः ग्रामीण गरीब महिलाओं , कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को सामर्थवान एवं सबल बनाने हेतु जो सामयिकी अपनाई जाती है ,जिसमे जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन एवं लाभ पहुँचाने हेतु ग्रामीण विकास प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एन्समिंगर के अनुसार (1985) – ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया के रूप मे परंपरागत अभिमुख संस्कृति बदलाओ से विज्ञान और प्रौधोगिकी की सहायता एवं अनुकूलन से आने वाला परिवर्तन है।

ग्रामीण विकास के उपागम –

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए है । पाँचवी पंचवर्षीय योजना से विकास कार्यक्रम लाभान्वित के रूप मे व्यक्ति के स्थान पर लक्षित समूह को सर्वांगीण विकास का आधार बनाया गया । इस हेतु विकास के निम्नलिखित प्रमुख उपागम अपनाए गये -

(1) बहुदेश्यीय उपागम –इस दृस्टिकोण के अंतर्गत स्वतन्त्रता के पश्चात तात्कालिक रूप से मौजूद विभिन्न परवर्ती समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल विभिन्न योजनाएँ एवं विकास कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ प्रारम्भ किए गए की गरीब ग्रामीण जनता जो ब्रिटिश दस्ता से मुख्त हुई थी, को लोकतान्त्रिक जनकल्याण की भावना के अनुरूप समतवादी समाज के लक्ष्यों के अनुरूप लाभ पंहुचाया जा सके। इसके लिए प्रमुखतः 1952 से प्रथम पंचवर्षीय योजना काल मे सामुदायिक विकास का व्यापक कार्यक्रम लागू कर दिया गया। वहीं नेशनल एक्सटेन्सन स्कीम के अंतर्गत 1953 के कृषीकृत ढांचे मे सुधार कर खाद्यान्न उत्पादन मे वृद्धि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

(2) न्यूनतम पैकेज उपागम –

विकास की मुख्य धारा मे पिछड़े ग्रामीणजनों , क्षेत्रों व खंडों को समुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से पैकेज कार्यक्रम लागू किए गए जिसमे कृषि व कृषि से संबन्धित उधोग धंधे , सिचाई के साधनों का विकास व क्षेत्रों की विशेष आवश्यकता के अनुरूप पैकेज

अपनाए गए । इनमे पैकेज प्रोग्राम (1960) व न्यूनतम पैकज कार्यक्रम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनजाति विकास खंड प्रमुख थे।

(3) लक्षित समूह उपागम –

विकास मे सभी की भागीदारी व विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचने के लिए लक्षित समूह उपागम विशेषतः समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों को जिनमे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं व बालकों के समग्र विकास हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लक्षित प्रोग्राम बनाए गए जिसमे द्वारका योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान फॉर S.C.पर्सन "ट्राइबल सब प्लान'' प्रमुख थे । एकीकृत ग्राम विकास योजना (1979) , समाल फार्मर डेवलोपमेंट एजेंसिस (1969) लक्षित समूह को लाभान्वित करने के लिए अपनाए गए।

(4) **क्षेत्र विकास उपागम –**

1969 के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास एवं रोजगार सृजन हेतु जो कार्यक्रम लागू किए गए उनमे-

(1)मरुस्थल विकास कार्यक्रम (1977)

(2)पर्वतीय विकास कार्यक्रम (1975)

(3)सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम(1970)

(4) ट्रायबल सब प्लान एवं माडा कार्यक्रम

(5) कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (1975)

(6)ग्रामीण उधोग कार्यक्रम

(5) विशेष नियोजन उपागम–

ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी के दिनो आकाल एवं सूखा की स्थिति मे स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए विशेष नियोजन उपागम अपनाते हुये निम्न कार्यक्रम लागू किए गए –

1. क्रेश स्कीम फॉर रुरल एम्प्लोयमेंट (1921)
2. रुरल वर्क्स प्रोग्राम (1969)
3. कार्य के बदले अनाज योजना (1977)
4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
5. ग्रामीण युवाओं के लिए स्व्रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (1979)
6. जवाहर रोजगार योजना
7. इन्दिरा आवास योजना
8. प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रमुख थे।

(6) एकीकृत ग्राम विकास उपागम –

ग्रामीण वर्गों की बिना आर्थिक उन्नति के और उनसे सामाजिक

सेवाओं मे सम्मलित हुए बिना संरचनात्मक परिवेर्तनों की आशा नहीं की जा सकती। उसके लिए रोजगार के साधन के साथ - साथ शिक्षा का विकास, जागरूकता मे वृद्धि, रोजगार मे वृद्धि के साथ साथ उनके दृष्टिकोण मे परिवर्तन आदि वास्तविक प्रेरण की आवश्यकता है । इसी समन्वित दृष्टिकोण को अपनाकर सम्पूर्ण परिवार को एक इकाई मानकर एकीकृत ग्रामीण विकास उपागम समग्र विकास हेतु 1979 से अपनाया गया। तथा आई.आर.डी.पी. के नाम से 6वी पंचवर्षीय योजना मे सुरू किया गया। इसमे एकीकृत ग्राम विकास की दो

उपयोजना ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण व ग्रामीण महिलाओं और बालकों के विकास लिए योजना द्वाकरा को भी समानांतर रूप से लागू किया गया

भारत में ग्रामीण विकास –

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की अधिकाश जनसंख्या 68.84% (जनगणना 2011) ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करती है। जिनका मुख्य कार्य कृषि है। ग्रामीण जनसंख्या मे उत्पादन के तरीके , सामाजिक संगठन और राजनैतिक गतिशीलता के क्षेत्र में यह भाग अत्यधिक पिछड़ा और कमजोर है। तकनीकी विकास ने भी इस क्षेत्र मे अमीर और गरीब के मध्य के भेद को और भी बढ़ा दिया है। विकास की कोई योजना का लाभ अब तक उस वर्ग को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है।

भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का विकास सामंतवादी ढांचे से लोकतांत्रिक ढांचे मे हुआ है , अतः इससे अनेकों सामंतवादी व्यवस्थाएं आज भी विद्यमान है, जिनमे गरीबी, बंधुआ मजदूरी, ऋण-ग्रस्तता, भूमि का आसमान वितरण, जातिगत विद्वेष, कठोर जातिगत बंधन, और संगठन की अकुशलता ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा को ही दर्शाता है।

ग्रामीण विकास एक अवधारणा के रूप में-

ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करने वाले गरीबों के सर्वांगीण विकास से है जिसमे रहन सहन के प्रतिमानों व मूल्यों मे बदलाव को भी रेखांकित किया जाता है। यह समान्यतः सभी के लिए बहु आयामी है। ग्रामीण विकास से न केवल कृषि विकास मे व्रद्धी अपितु सामाजिक सुविधाएं एवं मानव संसाधनो अनुकूलतम विकास प्रमुख है।

ग्रामीण विकास एक प्रघटना के रूप में-

किसी देश मे भौतिक, पर्यावरणीय, प्रौधोगिकीय, आर्थिक,सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत करको के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों मे अन्तःक्रियात्मक परिणाम के क्रम मे ग्रामीण विकास को समझा जा सकता है।

ग्रामीण विकास परियोजनाओं का इतिहास –

भारत में ग्रामीण विकास परियोजना के अध्ययन को दो भागों मे विभाजित करके क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप मे देखा जा सकता है-

(1) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व विकास परियोजनाएं

(2) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विकास परियोजनाएं।

(1) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व विकास परियोजनाएं-

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी ग्रामीण लोगो के विकास के लिए कुछ हद तक प्रयास किए गये । उनमे श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट ऑफ टैगोर (1920), मार्टडम प्रोजेक्ट ऑफ स्पेन्सर हेच (1921), ग्रामीण पुनः निर्माण प्रोजेक्ट बड़ौदा (1932), फिरका विकास योजना इन मद्रास (1946) एंटा पायलेट प्रोजेक्ट इन यू.पी.(1948), विकास के दृष्टिकोण से गरीब जनता के लिए लागू किए गये थे।

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व विकास कि योजनाओं का इतिहास देखा जा सकता है जब सर्वप्रथम जवाहर लाल नेहरू कि अध्यक्षता मे राष्ट्रीय आयोजन समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने आयोजन के विभिन्न मुद्दो पर विचार करके अनेक प्रतिवेदन प्रकाशित किए। इस समिति ने उचित छतिपूर्ति देकर जमीदारी प्रथा के उन्मूलन कि सिफ़ारिश कि

ओसने भूमि के व्यक्तित्व स्वामित्व के अधिक फैलाव को स्वीकृत करते हुए सहकारी खेती करने कि सिफ़ारिश की जिन बड़े पैमाने के उध्योगों मे एकाधिकार स्थापित होने कि संभावना थी उन पर राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण का सुझाव दिया। इस राष्ट्रीय आयोजन समिति ने दस वर्षों मे जनता का जीवनस्तर दु गुना करने का करने का लक्ष्य रखा था।

2 सितंबर, 1946 मे अनंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसके उप-प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। आपने अन्तरिम सरकार का कार्यभार संभाला तथा विकास से संबन्धित निम्न दो कार्य किए-

(1) प्रथम, नेहरू ने के.सी.नियोगी कि अध्यक्षता मे एक सलाहकार समिति का गठन किया।इस समिति को पिछले तीन-चार वर्षो मे नियोजित एवं विकास विभाग द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन करने का कार्य दिया गया। इस समिति ने योजना आयोग के गठन का सुझाव दिया था जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित किया गया।

(2) दूसरा नेहरू ने एस.एम.भटनागर कि अध्यक्षता मे वैज्ञानिक मानव शक्ति समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश मे उपलब्ध मानव शक्ति का वैज्ञानिक आधार पर तकनीकी संस्थाओं द्वारा समुचित उपयोग करना था । 1947 ई.में देश के विभाजन के कारण ये समितियां कोई विशेष कार्य नहीं कर पाई।

(2) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विकास परियोजनाएं-

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 ई. मे योजना आयोग कि स्थापना की थी। इस आयोग का कार्य देश कि भौतिक पूंजी एवं मानवीय संसाधनो कि आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा इंका अधिक संतुलन तथा प्रभावपूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए योजना बनाना रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 1950-51 मे प्रथम पंचवर्षीय योजना का

शुभारंभ हुआ और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं की श्रंखला को देखा जा सकता है। योजना आयोग का गठन संविधान मे वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा समीपवर्ती सूची मे निहित आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन कि भावनाओं के अनुरूप था।

पंचवर्षी योजनाएँ –

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास हेतु पंचवर्षी योजना के माध्यम से निम्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किए गये थे।

(1)**प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) –**

(a) सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952)

(b) नेशनल एक्सटेंशन स्कीम (1953)

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) –

(a) खादी और ग्रामोधोग (1957)

(b) बहूउद्देशीय आदिवासी विकास खंड (1959)

(c) पैकेज प्रोग्राम (1960)

(d) इंटेशिव एग्रिकल्चरल डिस्ट्रिक डेवलोपमेंट प्रोग्राम (1960)

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) –

(a) अनुप्रयोग पोषण प्रोग्राम (1962)

(b) हाई यील्डींग वैराइटी प्रोग्राम (1966)

(c) कुआं निर्माण योजना (1966)

(d) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1967)

(e) आदिवासी विकासखंड योजना (1968)

(f) रुरल मेन पावर कार्यक्रम (1969)

(4) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969 -74) –

(a)सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (1970)

(b) फ्रेश स्कीम फॉर रुरल अम्प्लोयमेंट (1971)

(c) स्माल फार्मर डेव्लमेंट स्कीम (1971)

(d) ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (1972)

(e) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1972)

(f) कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (1974)

(5) पंचम पंचवर्षीय योजना (1974 -79) -

(a)पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1975)

(b) स्पेशल लाइव स्टाक प्रॉडक्शन प्रोग्राम (1975)

(c) काम के बदले अनाज योजना (1977)

(6) छठवी पंचवर्षीय योजना (1974 -79)-

(a)मरुस्थल विकास कार्यक्रम

(b) समग्र ग्राम विकास योजना

(c) ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना

(d) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1980)

(7) सातवी पंचवर्षीय योजना (1985 -90) –

(a)राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

(b) जवाहर रोजगार योजना

(c) सुनिश्चित रोजगार योजना

(8)आठवी पंचवर्षीय योजना (1992 -97)-

(a)दस लाख कुआं योजना

(b) इन्दिरा आवास योजना

(c) गंगा कल्याण योजना

(9) नौवी पंचवर्षीय योजना (1997 -2002)-

(a)प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

(b) प्रधानमंत्री रोजगार योजना

(c) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किट की आपूर्ति योजना

(d) स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (1999)

भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा, भारत के योजना आयोग द्वारा विकसित, कार्यान्वित और इसकी देख रेख मे चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। प्रधानमंत्री के योजना आयोग के अध्यक्ष के साथ, आयोग का एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है जिसका ओहदा, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। इस समय बाहरवी पंचवर्षीय योजना चल रही है.

(1.2) संदर्भ साहित्य का अध्ययन

समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा ग्रामीण विकास संबन्धित शोध कार्य एवं लेखन कार्य संपादित किए जा चूकें है जिनमे से कुछ निम्नलिखित है

पवार, मीनाक्षी (1989) के अनुसार- वस्तुतः ग्रामीण संरचना के व्यवस्थापन के रूप मे पचायतों की आर्थिक व्यवस्था के द्वारा ही विकास का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रजातन्त्र मे पंचायतों की आर्थिक प्रगति की स्वस्थ परंपरा ग्रामवासियों मे पचायतों के माध्यम से प्रदान की जाती है और यह ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है।

मालवीय,मोतीलाल (1994)- मध्यप्रदेश के विहंगम ग्रामीण परिक्षेत्र का आर्थिक विकास करने हेतु पंचायतों को विकेंद्रित व्यवस्था के रूप मे विकसित किया गया जो शासन एवं ग्रामीण के मध्य एक आर्थिक सेतु के रूप मेकार्य कर रही है।

ठाकुर, अभिषेक (1996) – ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास आर्थिक प्रगति के द्वारा ही संभव है। आर्थिक प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। अतः ग्रामीणों की आर्थिक आत्मनिर्भरता मे भारत का आर्थिक विकास निहित है। ग्रामीणों की आर्थिक आत्मनिर्भरता ग्राम पंचायतों के द्वारा ही प्राप्त की जाती है।

तोमर, अनीता (1998) – इनका मानना है की ग्राम पचायतें ग्रामीण क्षेत्रों मे उन सभी संभव आर्थिक क्रियाओं को संचालित करती है , जिनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण लोगों का आर्थिक जीवन हर दृष्टि से पहले की आपेक्षा बेहतर हो सकता है।

भार्गव, बी.एस.(1999) – आपके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों मे कर्मचारीयों, प्रतिनिधियों , ग्रामीण जनता के द्वारा ग्रामों का विकास संभव है। जब तक इन्हे पर्याप्त आधिकार एवं उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाते, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है।

सिसौदिया, यतीन्द्र सिंह (1998) – आपके अनुसार यदि ग्रामीण संदर्भ में ग्रामीण विकास की आवश्यकता एवं उनके मार्ग मेयाने वाली बाधाओं का ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो बहुत सी छोटी से छोटी समस्यायें ऐसी होती है, जिंका समाधान गाँव मे ही संभव है।

श्रीवास्तव, ओ.एस. (1991) – के आनुसार प्रदेश का आर्थिक विकास अनेक कारणो से अवरुद्ध है, विशेस्कर ग्रामिण क्षेत्रों मे। इन क्षेत्रों मे समुचित व्यवस्था को विकसित किया जाना चाहिए जिसे स्थानीय ग्रामीणजन ही संचालित करें और इस संस्था को अधिक से अधिक अधिकार सम्पन्न बनाया जाना चाहिए।

पीपुल्स आफ इण्डिया प्रोजेक्ट (1994)- "एन्थोपोलॉजिकल सर्वे आँफ इण्डिया'' में जनजातियों , उनके समूहों और क्षेत्रीय इकाइयों सहित उनकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन था।

डा.अजीत कुमार सिंह,डा.गया पांडे (2004)- "ट्रीईबल वुमन इन वर्कर इन इंडिया'' इस किताब मे महिला श्रमिकों की वर्तमान स्तिथीका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

प्रो.विद्यार्थी, एल.पी. (1972)- आपनें जनजातीय विकास हेतु 'क्षेत्रीय विकास निति'(regional development policy) प्रस्तुत की।

प्रो.वी.एस उपाध्याय,गया पांडे (2003)- "ट्राइबल डेवलोपमेंट इन इंडिया'' इस किताब मे जनजातियों की समस्यओं तथा विकास कार्यक्रमो की समीछा विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करती है।

जे.पी.सिंह,एम.एन.व्यास(1985)- आप के अनुसार "डेवलोपमेंट की पुस्तक ट्राइबल वुमन''जनजाति महिलाओं की स्थिति एवं उनके विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करती है।

कापार्ट "काउन्सिल फाँर एडवांसमेंट आँफ एक्शन एँन्ड टेक्नोलोजी, सी.ए.पी.ए.आर. टी.'' (1986) - गैर सरकारी संगठनों को राशि उपलब्ध कराने वाला मुख्य संगठन है। (कपार्ट द्वारा गरीबों के लिए गृह निर्माण, पेयजल की उपलब्धता, स्वास्थ्य एवं सफाई के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है।)

नाबार्ड (नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) की स्थापना 1922 को हुई थी। इस उच्च संस्थान द्वारा कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राशि उपलब्ध कराईं जाती है।

1.3 अध्ययन की आवश्यकता

गांधीजी का मानना था कि सम्पूर्ण भारत का विकास तब तक नहीं होगा जब तक गाँव का विकास नहीं होगा। अतःगाँव के विकास से ही भारत का विकास संभव है। इसलिए ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का अध्ययन करना और भी आवश्यक हो जाता है। जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि जो योजनाएँ चलाई जा रहीं है वो कहाँ तक ग्रामीण लोगों के लिए आवश्यक या उनके जरूरत के अनुरूप है, इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीण वासियों को कहाँ तक हो रहा है।

1.4 अध्ययन का महत्व

छत्तीसगढ़ एक नया राज्य होने के कारण वहाँ चल रही विकास योजनाएं एक विशेष महत्व रखती है । सरकार ग्रामीण लोगों के हित के लिए विभिन्न योजनायें चला रहीं है जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास से संबन्धित योजनायें, जिसमें खाद्यान्न, अवास, पेन्सन, गरीबी उन्मुलन जिसमे इन्दिरा आवास योजना,मानरेगा जैसी योजना सम्मिलित है एवं स्वास्थ संबंधित योजना, एवं शिक्षा से संबन्धित योजनाओं का विश्लेषण करके विकास योजनाओं का प्रभाव जानना जरूरी था। जिससे इस बात का पता लगाया जा सके की ये योजनायें गाँव के विकास के लिए कहाँ तक सफल हुई है तथा स्थानीय लोगों की राय योजनाओं के प्रति किस प्रकार है यह जानने का प्रयास करना था। ग्रामीण क्षेत्र मे चल रही विभिन्न योजनाओं के अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयास करना की ये योजनायें गाँव के

विकास मे कहाँ तक तक सफल या विफल रही। इस अध्ययन का महत्व और भी बढ़ जाता है कि ये अध्ययन मानवशास्त्री दृष्टिकोण पर आधारित है जो किसी भी वस्तु का समग्रता से अध्ययन करता है ।मेरी जानकारी के अनुसार इस गाँव मे पहले किसी भी व्यक्ति ने विकास परियोजनाओं से संबन्धित मानवशास्त्री अध्ययन नहीं किया है |इसलिए इस शोध का महत्व और भी बड़ जाता है ।

1.5 अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उदेश्य निम्नलिखित है, जो इस शोध प्रबंध मे शामिल किये गये है

1.ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ संबंधित विकास परियोजना का विश्लेषण करना।

2.ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थ व्यवस्था संबन्धित विकास परियोजना का अध्ययन एवं विश्लेषण ।

3.योजनाओं के सफल एवं असफल होने के कारण को समझना।

4.योजनाओं का ग्रामीण सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावों से उनके जीवन स्तर पर क्या बदलाव आया है, यह समझना।

1.6 परिकल्पना-

किसी प्रकार का शोधकार्य सामज द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत तब तक नहीं हो सकता है, जब तक वह वैज्ञानिक नहीं होता और कोई भी शोध वैज्ञानिक तब तक नहीं हो सकता, जब तक उसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग न किया जाय ।

शोध कार्य हेतु परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए क्योकि अत्यंत सामान्य परिकल्पना की स्थिति में यथार्थ निष्कर्ष प्राप्त नहीं किए जा सकते । अतः यथार्थ ज्ञान की

प्राप्ति हेतु आवश्यक है परिकल्पना अध्ययन विषय के किसी विशेष पहलू से संबन्धित हो, साथ ही उसमें यदि विशिष्टता का गुण नहीं हुआ तो उसकी सत्यता की जांच कठिन है।

1. (क)शिक्षा संबंधी योजनाओं द्वारा ग्रामीण लोगों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है।
(ख) शिक्षा संबंधी योजनाओं द्वारा ग्रामीण लोगों का समुचित विकास हो रहा है।
2.(क)ग्रामीण विकास में स्वास्थ संबन्धित विकास परियोजन का क्रियान्वन सफल नहीं हो रहा है
(ख)ग्रामीण विकास में स्वास्थ संबन्धित विकास परियोजन का क्रियान्वन सफल नहीं हो रहा है।
3.(क)आर्थिक विकास संबंधी परियोजनाओं का लाभ ग्रामीणवासियों को हो रहा है।
(ख)आर्थिक विकास संबंधी परियोजनाओं का लाभ ग्रामीणवासियों को हो रहा है।

1.7 अध्ययन की सीमायें

प्रस्तुत शोधकार्य की निम्नलिखित सीमाएं है-

1.समय की कमी होने के कारण यह अध्ययन केवल उत्तर बस्तर, कांकेर विकास खण्ड के चार ग्राम मोहपुर और पुसवाडा,चिलहटी तथा बोरगांव तक ही सिमित है।

2.नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण ग्राम के आसपास का संपूर्ण अध्ययन करना बहुत मुश्किल था।

3. धन और समय की पर्याप्त उपलब्धता न हो पाने के कारण समस्त गाँव और विकासखंड का अध्ययन कर पाना मुश्किल था।